

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स०-2/अ०प्र०-08-01/2021

1940

/पटना, दिनांक :- 11-9-23

निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 1579 दिनांक 21.12.2021 द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-54/2021, दिनांक 17.12.2021 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(वी) प्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किये जाने तथा श्री सिंह के पटना स्थित आवासीय मकान एवं कार्यालय पर तलाशी के क्रम में आवासीय मकान से नगद रु० 95,51,000/- (पंचानवे लाख एकावन हजार रुपये), सोना एवं चाँदी के आभूषण मूल्य लगभग रु० 66,51,073/- रु० (छियासठ लाख एकावन हजार तिहत्तर रुपये), जमीन से संबंधित 15 दस्तावेज, विभिन्न बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में 24 खाते एवं एल०आई०सी० तथा अन्य संस्थानों में निवेश के कागजात बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या-1856 सह-पठित ज्ञापांक-1857 दिनांक 27.12.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया।

2. श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 1579 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित चल/अचल सम्पत्ति एवं श्री सिंह द्वारा वर्ष-2020-21 में घोषित सम्पत्ति विवरणी के आधार पर गठित आरोप पत्र के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-372 दिनांक 21.02.2023 द्वारा जाँच आयुक्त के अधीन निम्नलिखित विभागीय कार्यवाही संचालित है।

3. निलंबन आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-385/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.04.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिंह के अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2022 को समीक्षोपरान्त सकारण आदेश संख्या-863 दिनांक 28.04.2023 द्वारा अस्वीकृत किया गया। साथ ही विभागीय पत्र संख्या-862 अनु० दिनांक 28.04.2023 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को न्यायादेश में निर्धारित समय-सीमा (छः माह) के भीतर निष्पादित करने का अनुरोध जाँच आयुक्त से किया गया।

4. श्री सिंह का पत्रांक शून्य दिनांक 21.08.2023 द्वारा पुनः अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में रहने, निलंबन अवधि लगभग एक वर्ष सात माह से अधिक हो जाने के कारण आर्थिक कठिनाई होने, अन्य विभागों द्वारा समदर्शी मामले में की गई कार्रवाई तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-1893 दिनांक 14.06.2011, परिपत्र संख्या-2763 दिनांक 26.02.2014 एवं परिपत्र संख्या-13888 दिनांक 21.07.2023 का उल्लेख करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध विभाग से किया गया।

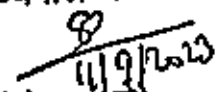
5. श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप में जाँच आयुक्त के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में प्रक्रियात्मक विलंब को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-13888

दिनांक 21.07.2023 के कंडिका-5 की उप कंडिका-(iii) के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौड़ी सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का आदेश सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिया गया है।

6. अतः उक्त आलोक में श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौड़ी सम्प्रति निलंबित को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6)(ग) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री सिंह मुख्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

7. श्री सिंह के निलंबन अवधि का विनियमन का निर्णय इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय देव)
विशेष सचिव

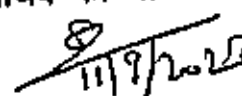
ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-08-01/2021 1941 /पटना, दिनांक :- 11-9-23
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रगरी पदाधिकारी, वित्त (विविध) दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, वेतिया/ कोषांगार पदाधिकारी, मसौड़ी/कोषांगार पदाधिकारी विश्वेश्वरैया भवन, वेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-08-01/2021 1941 /पटना, दिनांक :- 11-9-23
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-08-01/2021 1941 /पटना, दिनांक :- 11-9-23
प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव